



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21112025-267887  
CG-DL-E-21112025-267887

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 752]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2025/कार्तिक 30, 1947

No. 752]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2025/KARTIKA 30, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.131.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 2 के खंड (ड) के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) तथा धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“विनियम 23. प्ररूपों का फाइल किया जाना**

- (1) समाधान व्यावसायिक, प्ररूपों को, बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से यथा-अधिसूचित उनके संलग्नकों सहित, प्रत्येक प्ररूप के सामने नियत समयसारणी के अनुसार फाइल करेगा।
- (2) बोर्ड, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूपों को इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराएगा और उनमें समय-समय पर उपांतरण कर सकेगा।
- (3) समाधान व्यावसायिक यह सुनिश्चित करेगा कि इस विनियम के अधीन फाइल किए गए प्ररूप और उनके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।
- (4) इस विनियम के अधीन कोई प्ररूप, प्रस्तुत करने की नियत तारीख के पश्चात्, चाहे सुधार, अद्यतन या अन्यथा द्वारा फाइल करने पर, बोर्ड द्वारा अधिसूचित तारीख के पश्चात्, विलंब के प्रत्येक कलेंडर मास के लिए प्रति प्ररूप पांच सौ रूपए की फीस संलग्न की जाएगी।
- (5) समाधान व्यावसायिक ऐसी किसी कार्रवाई के लिए दायी होगा, जो बोर्ड, संहिता या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन उचित समझे, कर सकेगा जिसके अंतर्गत –

- (i) किसी प्ररूप को अपेक्षित जानकारी और अभिलेख सहित फाइल करने में असफलता;
- (ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ फाइल की गई गलत या अपूर्ण जानकारी या अभिलेख; या
- (iii) प्ररूप फाइल करने में विलंब

के कारण, असाइनमेंट के लिए प्राधिकार-पत्र जारी करने या उसका नवीकरण करने से इनकार करना भी है।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./487/2025-26]

**टिप्पण :** भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 413, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.050, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 374, तारीख 19 मई, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/आर.ई.जी. 125, तारीख 19 मई, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2025

#### **Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2025.**

**F. No. IBBI/2025-26/GN/REG131.**—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196, section 240 read with clause (e) of section 2 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019. (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 22, the following shall be inserted, namely:

**“Regulation 23. Filing of Forms**

(1) *The resolution professional shall file the Forms, along with enclosures thereto, as notified by the Board through circular, as per the timelines stipulated against each Form.*

(2) *The Board shall make available the Forms referred to in sub-regulation (1) on the electronic platform and may modify them from time to time.*

(3) *The resolution professional shall ensure that the Forms and its enclosures filed under this regulation are accurate and complete.*

(4) *The filing of a Form under this regulation after the due date of submission, whether by correction, updation or otherwise, shall be accompanied by a fee of five hundred rupees per Form for each calendar month of delay after the date notified by the Board.*

(5) *The resolution professional shall be liable to any action which the Board may take as deemed fit under the Code or any regulation made thereunder, including refusal to issue or renew Authorisation for Assignment, for -*

*(i) failure to file a Form along with requisite information and records;*

*(ii) inaccurate or incomplete information or records filed in or along with a Form; or*

*(iii) delay in filing the Form.”*

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./487/2025-26]

**Note :** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG050, dated 20<sup>th</sup> November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 413 on 20<sup>th</sup> November, 2019 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Amendment) Regulations, 2024 published *vide* notification No. IBBI/2025-26/GN/REG125 dated the 19<sup>th</sup> May, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 374 on 19<sup>th</sup> May, 2025.